

कार्यालय, नगर पालिक निगम राजनांदगांव (छ.ग.)

// द्वितीय निविदा सूचना //

क्रमांक 159 / निविदा / लोक / 2017-18,

राजनांदगांव दिनांक 5/5/2017

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव द्वारा निम्न कार्य हेतु छ.ग. शासन के आदेश के तहत केन्द्रीयकृत पंजीयन में सक्षम श्रेणी (द एवं अपर श्रेणी) में पंजीकृत ठेकेदारों से / पंजीकृत सामुदायिक विकास समिति/पंजीकृत स्व सहायता समूह से आईटम दर/एस.ओ.आर. दर के आधार पर मुहरबंद निविदायें दो लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित करती है। निविदा प्रपत्र निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट से सीधे निविदा प्रपत्र डाऊनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेंगे।

1. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22/5/2017 शाम 5.00 बजे तक
2. प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि 24/5/2017 शाम 5.00 बजे तक

कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि लाख में	अमानती राशि रूपये में	निविदा फार्म	निविदा प्रपत्र मूल्य रूपये में	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7
1	पुष्पवाटिका, चौपाटी गार्डन, टांकाघर एवं अन्य गार्डनों के लिए ठेका श्रमिक 21 प्रदाय बाबत	15.98	16000.00	बी	750.0	12 माह

शर्तें:-

- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा के साथ संलग्न करना एवं लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा।
- निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने आवेदन में कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। कांट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जायेंगे। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा कराने उपरांत ही आवेदन संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
- दरें अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित करना होगा। कांट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जायेंगे।
- नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन अवधि में देखी/प्राप्त की जा सकती है।

वन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत 1.00 प्रतिशत राशि की कटौति निर्माण कार्य के प्रस्तुत होने वाले देयकों से की जावेगी ।

सफल निविदाकार को निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तावित स्थल का फोटो ग्राप्स, निर्माण कार्य प्रारंभ करने के बाद चल देयक प्रस्तुत करते समय एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य की स्थिति संबंधी फोटो ग्राप्स प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें वार्ड क्रमांक एवं कार्य का नाम अंकित हो ।

8. आहुत की गई निविदा तिथियों को किसी कारणवश अवकाश घोषित होते हैं, तो निविदा कार्यवाही अग्रिम कार्य दिवस में संपन्न किये जायेंगे । इसके लिये पृथक से सूचना जारी नहीं किये जायेंगे ।

9. छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 243/वि.नि./चार/2003 नया रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा ।

10. सफल निविदाकार को श्रम नियम/अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

11. सफल निविदाकार के तीन दिनों के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा ।

12. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम, राजनांदगांव निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा ।

13. अन्य नियम व शर्तें कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किये जा सकते हैं ।

Bhmm6
02/05/17
आयुक्त

नगर पालिक निगम राजनांदगांव
राजनांदगांव दिनांक 03/5/2017

पृ.क्र. 150 / लोक-11/2017-18,
प्रतिलिपि:-

1. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ ।

2. राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनार्थ ।

3. प्रभारी अधिकारी डाटा सेंटर नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं विभागीय एवं शासन के वेबसाईड में अपलोड किये जाने ।

4. कार्यालय नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु ।

Bhmm6
02/05/17
आयुक्त

नगर पालिक निगम राजनांदगांव